

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं संयुक्त शासन सचिव, सीएसआर

क्रमांक : F.31(07)आ.उ./आनि/पुरस्कार/18

दिनांक : 05.11.2020

निर्यात पुरस्कार 2020 हेतु आवेदन आमंत्रण



वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को "राज्य निर्यात पुरस्कार योजना" के अन्तर्गत चयन करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.industries.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन कर्ता इकाई विभागीय वेबसाइट www.industries.rajasthan.gov.in से आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर पूरी तरह भरे गए आवेदन पत्र को मय संलग्नक संबंधित जिला उद्योग केन्द्र या संयुक्त निदेशक, उद्योग (निर्यात) की ई-मेल आई.डी. indrajfo16@rajasthan.gov.in पर अथवा डाक द्वारा कार्यालय आयुक्त उद्योग को दिनांक 09.11.2020 से 30.11.2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

Sd.

(अर्चना सिंह)

आयुक्त, उद्योग एवं
संयुक्त शासन सचिव,
सीएसआर

राजस्थान-सरकार
उद्योग(ग्रुप-1) विभाग
क्रमांक: प-5(33)36/25/15/2019

दिनांक: 12 3 JUL 2019

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना

(औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर)

1. प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा विकसित की गयी आधारभूत सुविधाओं तथा नीतियों के साथ-साथ राज्य के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहद, व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों एवं सेवा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं निर्यातकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में निर्यात पुरस्कार योजना लागू किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर नवीन राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना लागू की जा रही है।

2. उद्देश्य

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

3. योजना की अवधि

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी, जिसे समीक्षा कर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

4. पुरस्कार एवं उसकी श्रेणियां-

निर्यात पुरस्कार निम्नलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए इन वस्तुओं/वस्तु समूहों के निर्माता/व्यापारी/निर्यातकों को पृथक-पृथक प्रदान किया जायेगा:-

क्र.सं०	वस्तु/वस्तु समूह	कुल चयनित किये जाने वाले निर्यातकों की संख्या		
		On the basis of Highest Export Turnover in Particular Category	On the basis of Best Growth in exports in preceding 3 years	Total
1.	कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण एवं	1	1	2

	जैविक खाद्य उत्पाद			
2.	गलीचा, दरी एवं ऊन आधारित	1	1	2
3.	स्वर्ण / रजत / प्लेटिनम / कृत्रिम आभूषण	1	1	2
4.	मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर	1	1	2
5.	हस्तशिल्प	1	1	2
6.	खनिज आधारित उत्पाद	1	1	2
7.	वस्त्र	1	1	2
8.	सिले-सिलाये वस्त्र	1	1	2
9.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर हार्डवेयर	1	1	2
10.	अभियांत्रिकी	1	1	2
11.	रसायन, दवाईयां एवं संबद्ध उत्पाद	1	1	2
12.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/केपीओ/बीपीओ/पर्यटन/स्वास्थ्य एवं अन्य सेवायें (सॉफ्टवेयर व सेवा क्षेत्र की श्रेणी)	1	1	2
13.	महिला उद्यमी(निर्यातक) इकाई	1	1	2
14.	विदेशी सैलानियों को काउंटर बिक्री	1	1	2
15.	विविध (चर्म, मेटल एवं अन्य उत्पाद, जोकि उपरोक्त वर्गों में शामिल नहीं हो)	2	2	4
Total		16	16	32

उक्त के अतिरिक्त प्रतिवर्ष एक इकाई को Life Time Achievement Export Ratna Award से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार Life Time Achievement Export Ratna Award सहित प्रति वर्ष चयनित इकाईयों की कुल संख्या 33 होगी।

इनके लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे-

- I. एक बार पुरस्कृत इकाई आगामी 2 वर्षों के लिए इस योजना में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
- II. जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) अथवा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एक बार प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई भविष्य में इस योजनान्तर्गत किसी भी वर्ग में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
- III. चयनित इकाईयों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाएंगे।
- IV. जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे-

राज्य से निर्यात संवर्धन में अपनी सहभागिता एवं राज्य के औद्योगिक विकास में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने वाली औद्योगिक निर्यातक इकाइयों को विशेष रूप से सम्मानित किये जाने के लिए नई पुरस्कार श्रेणी— जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) का गठन कर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाली केवल एक निर्यातक औद्योगिक इकाई पात्र होगी :-

1. निर्यातक औद्योगिक इकाई विगत 15 वर्षों से निरन्तर उत्पादनरत हो।
2. इकाई द्वारा विगत 12 वर्षों से निरन्तर निर्यात किया जा रहा हो।
3. इकाई के निर्यात में विगत 3 वर्षों से निरन्तर वृद्धि दर्ज हो रही हो।
4. इकाई द्वारा विगत 5 वर्षों में निरन्तर 500 अथवा अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।
5. निर्यातक औद्योगिक इकाई अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं या भारत सरकार की निर्यात संवर्द्धन परिषदों/बोर्ड/प्राधिकरण से कम से कम 2 निर्यात पुरस्कार प्राप्त हों।
6. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत तीन वर्षों में सीएसआर के तहत कुल 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक का व्यय/योगदान प्रदान किया हुआ हो।
7. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत 3 वर्षों में कम से कम प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का निर्यात किया हो।

जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए एक वर्ष में एक से अधिक पात्र इकाईयां होने पर जिस इकाई की उत्पादन तिथि सबसे पुरानी होगी, वही पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

5. योजना में पात्रता की शर्तें

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना राजस्थान में कार्यरत औद्योगिक/व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों के लिए लागू की गयी है। इस योजना में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले निर्यातक लाभान्वित किये जाने हेतु पात्र होंगे :-

1. इस योजना के लागू होने से पूर्व विगत 2 वर्षों में निर्यात प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना में लाभान्वित हो चुकी इकाई वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इस योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी।
2. इस योजना में पुरस्कार प्राप्त करने वाली इकाई आगामी 2 वित्तीय वर्ष तक इस योजनान्तर्गत पुनः पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
3. इकाई/इकाई के भागीदार, स्वामी, निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है/ अन्य प्रकरण में शासित होने पर इकाई को पात्र नहीं माना जायेगा। इकाई को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 10 करोड रू0 से कम मूल्य का निर्यात करने वाली इकाई योजना में अपात्र होगी।
5. काउन्टर सेल टू टूरिस्ट वर्ग में ऐसी इकाइयों लाभान्वित हो सकेगी जोकि पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 5 करोड रूपये से अधिक की विदेश मुद्रा का व्यापार करती हो।
6. पुरस्कार चयन हेतु मापदंड- पुरस्कार चयन हेतु मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

S.No.	Sub-Category	Methodology				
1.	Highest Export	प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी कर संबंधित कैटेगरी में संबंधित वर्ष (अवार्ड वर्ष) में अधिकतम निर्यात करने वाली इकाई का समिति द्वारा चयन किया जाएगा।				
2.	Best Growth	इसके लिए प्राप्त आवेदनों में से गत तीन वर्षों में से उनके निर्यात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना करते हुए संबंधित कैटेगरी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली इकाई/आवेदक का चयन किया जायेगा-				
		क. स. बिन्दु	मानदण्ड	कुल अंक	अंकों का वितरण का आधार	अधिकतम अंक
		1.	निर्यात पुरस्कार वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।	50	25% तक वृद्धि होने पर	10 अंक
					25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	20 अंक
					50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	30 अंक
					75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	40 अंक
					100 %से अधिक वृद्धि होने पर	50 अंक
		2.	निर्यात पुरस्कार से पिछले वर्ष में उससे पहले के वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर	50	25% तक वृद्धि होने पर	10 अंक
					25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	20 अंक
					50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	30 अंक
					75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	40 अंक
					100 %से अधिक वृद्धि होने पर	50 अंक
			कुल अंक	100		
3.	Lifetime Achievement Award	कमेटी को इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त इस वर्ग में सर्वसम्मति से एक इकाई के चयन का अधिकार होगा।				

7. निर्यात पुरस्कार निर्धारण समिति

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों में से पुरस्कार हेतु पात्र इकाईयों के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा : -

1. अतिरिक्त/प्रमुख/शासन सचिव, उद्योग	अध्यक्ष
2. आयुक्त, उद्योग	सदस्य
3. सीएमडी/एमडी, रीको	सदस्य
4. सीएमडी/एमडी, राज. लघु उद्योग निगम	सदस्य
5. संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, जयपुर	सदस्य
6. क्षेत्रीय निदेशक/प्रबन्धक, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ईपीसी फॉर हैण्डीक्राफ्ट	सदस्य
8. क्षेत्रीय निदेशक/प्रबन्धक एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
9. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स	सदस्य
10. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स	सदस्य
11. अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री	सदस्य
12. अध्यक्ष, राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0, जयपुर	सदस्य
13. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड0, जयपुर	सदस्य
14. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (वरिष्ठतम)	सदस्य सचिव

नोट:-

1. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद (राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) के गठन की स्थिति में उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा और उनके सुझावों के अनुरूप वांछित संशोधन किया जा सकेगा।
2. औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि ही बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

8. समिति का कार्य क्षेत्र

समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रता के आधार पर पुरस्कार हेतु निर्यातक इकाईयों का चयन करेगी। समिति के पास यह अधिकार होगा कि यदि किसी वस्तु अथवा वस्तु समूह हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, उस वर्ग में निर्धारित पुरस्कार संख्या से अधिक है और अन्य किसी वर्ग में आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है तो अधिक आवेदन प्राप्त होने वाले वर्ग में पुरस्कारों की संख्या बढ़ा सकेगी, जो प्रतिवर्ष कुल 33 अवार्ड से अधिक नहीं होगी।

9. आवेदन पत्र आमंत्रण एवं पुरस्कार समयावधि


उपरोक्त पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर अथवा विज्ञापन प्रसारित कर, आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विज्ञापन जारी होने की सूचना संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, निर्यातक एसोसियेशन्स को भी प्रेषित की जाएगी। आवेदक निर्यातक इकाई

अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों अथवा कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करेगी।

चूंकि इकाईयों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार के आयकर विभाग/कंपनी रजिस्ट्रार विवरणी प्रतिवर्ष माह सितम्बर/अक्टूबर तक भरने का प्रावधान है, इसलिए इस योजना में लाभान्वित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत माह नवम्बर या दिसम्बर में आमन्त्रित किये जायेंगे एवं माह मार्च तक सभी चयनित इकाईयों को राज्य स्तरीय समारोह में पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार की तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

10. योजना का प्रशासनिक विभाग

राज्य सरकार का उद्योग (ग्रुप-1) विभाग योजना का प्रशासनिक विभाग होगा एवं योजना में संशोधन एवं मार्गदर्शन देने के लिए अधिकृत होगा।



(नीतू बहल)
उप शासन सचिव, उद्योग

क्रमांक: प. 5 (33) उद्योग / I / 2019

दिनांक: 23/07/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
3. जिला उद्योग केन्द्र, (समस्त) उपकेन्द्र (समस्त)
4. उद्योग (पीपीसी) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव, उद्योग
0/2

**Government of Rajasthan
Department of Industries**

Application for Rajasthan State Export Award - 2020

Applicant Unit's Category	
<p>⊙ Counter Sale to Foreign Tourists (Sale against foreign currency should be more than Rs. 5.00 crore in financial year 2019-20)</p>	<p>Yes/No</p>
<p>⊙ Other Categories (Export more than FoB Rs. 10.00 crore in financial year 2019-20)</p>	<p>Category related to Applicant (Tick Mark on the left side)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Agro Based, Food Processing and Organic Food Products • Carpets, Durries & Woollen Based • Gold/Silver/Platinum/Artificial Jewellery • Precious & Semi Precious Stones • Handicrafts • Mineral Based Products • Textiles • Readymade Garments • Electronics & Computer Hardware • Engineering • Chemical, Pharmaceuticals & Allied Products • Computer Software, KPO/BPO/Tourism/Medical & Other Services • Women Entrepreneur (Exporter) • Miscellaneous (Leather, Metal & Other Products, which are not included above categories) </div>
<p>⊙ Lifetime Achievement</p>	<p>Yes/No</p>
Applicant Unit's Sub-Category	
<p>⊙ Highest Growth</p>	<p>Yes/No</p>
<p>⊙ Highest Export Turnover</p>	<p>Yes/No</p>

A. Details of Applicant Unit		
1.	Name of the Applicant Unit	
2.	Unit	Address
		Phone with STD Code
		Mobile Number
		Email ID
3.	Office	Address
		Phone with STD Code
		Mobile Number
		Email ID
B. Registration details of Applicant Unit		
1.	UAM/EM-II No. (In case MSME)	
2.	IE Code No.	
3.	RCMC No. (In case unit is registered with more than one EPC give RCMC No. of all)	
C. Other Information		
1.	Export Turnover (In crore Rs.) (FoB)	

	2017-18	
	2018-19	
	2019-20	
2.	Main item exported during 2019-20	
3.	Country to which items exported in 2019-20	
4.	Production (in Crore Rs.)	
	2017-18	
	2018-19	
	2019-20	
5.	Quality Certification (If have, give details)	
D.	Enclosures	
1.	CA Certificate for FoB value of Exports in Crore Rs. during the years 2017-18, 2018-19, 2019-20	
2.	CA Certificate for production during the years 2017-18, 2018-19, 2019-20 (in Crore Rs.)	
3.	UAM/EM-II (in case MSME)	
4.	IE Code Certificate	
5.	Registration-cum-Membership Certificate (RCMC)	
6.	CA Certificate for Women's Equity (if the firm is applying in Women category)	
7.	Declaration on Rs. 100/- Stamp Paper (see Para No. 5(3) of the Scheme)	

DECLARATION

We hereby certify that the information furnished in this form is authentic and correct and we shall abide by the decision of the Commissioner of Industries & Secretary CSR, Rajasthan, Jaipur.

Signature

Name

Designation

Name of the firm
(with rubber stamps)

C1 For Lifetime Achievement Award																																					
S. No.	Particulars	Entries (to be filled by Applicant)																																			
1.	Date of Start of Production																																				
2.	Whether the applicant unit is in continuously in operation for last 15 financial year	Yes / No	<p>If Yes, then fill up the following table:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Financial Year</th> <th>Production (In Crore Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2005-06</td><td></td></tr> <tr><td>2006-07</td><td></td></tr> <tr><td>2007-08</td><td></td></tr> <tr><td>2008-09</td><td></td></tr> <tr><td>2009-10</td><td></td></tr> <tr><td>2010-11</td><td></td></tr> <tr><td>2011-12</td><td></td></tr> <tr><td>2012-13</td><td></td></tr> <tr><td>2013-14</td><td></td></tr> <tr><td>2014-15</td><td></td></tr> <tr><td>2015-16</td><td></td></tr> <tr><td>2016-17</td><td></td></tr> <tr><td>2017-18</td><td></td></tr> <tr><td>2018-19</td><td></td></tr> <tr><td>2019-20</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Financial Year	Production (In Crore Rs.)	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		Total	
Financial Year	Production (In Crore Rs.)																																				
2005-06																																					
2006-07																																					
2007-08																																					
2008-09																																					
2009-10																																					
2010-11																																					
2011-12																																					
2012-13																																					
2013-14																																					
2014-15																																					
2015-16																																					
2016-17																																					
2017-18																																					
2018-19																																					
2019-20																																					
Total																																					
3.	Whether the applicant unit has been exporting for last 12 financial years	Yes / No	<p>If Yes, then fill up the following table:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Financial Year</th> <th>Export-FoB (In Crore Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2008-09</td><td></td></tr> <tr><td>2009-10</td><td></td></tr> <tr><td>2010-11</td><td></td></tr> <tr><td>2011-12</td><td></td></tr> <tr><td>2012-13</td><td></td></tr> <tr><td>2013-14</td><td></td></tr> <tr><td>2014-15</td><td></td></tr> <tr><td>2015-16</td><td></td></tr> <tr><td>2016-17</td><td></td></tr> <tr><td>2017-18</td><td></td></tr> <tr><td>2018-19</td><td></td></tr> <tr><td>2019-20</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Financial Year	Export-FoB (In Crore Rs.)	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		Total							
Financial Year	Export-FoB (In Crore Rs.)																																				
2008-09																																					
2009-10																																					
2010-11																																					
2011-12																																					
2012-13																																					
2013-14																																					
2014-15																																					
2015-16																																					
2016-17																																					
2017-18																																					
2018-19																																					
2019-20																																					
Total																																					

4.	Whether applicant unit has registered continuous growth in exports in last three consequent financial years	Yes / No													
5.	Whether employment (Direct and Indirect) over 500 numbers has been provided by Unit	Yes / No	<p>If Yes, then fill up the following table:</p> <table border="1" data-bbox="871 405 1318 696"> <thead> <tr> <th data-bbox="871 405 1075 479">Financial Year</th> <th data-bbox="1075 405 1318 479">Direct & Indirect Employment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="871 479 1075 521">2015-16</td> <td data-bbox="1075 479 1318 521"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 521 1075 564">2016-17</td> <td data-bbox="1075 521 1318 564"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 564 1075 607">2017-18</td> <td data-bbox="1075 564 1318 607"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 607 1075 649">2018-19</td> <td data-bbox="1075 607 1318 649"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 649 1075 696">2019-20</td> <td data-bbox="1075 649 1318 696"></td> </tr> </tbody> </table>	Financial Year	Direct & Indirect Employment	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
Financial Year	Direct & Indirect Employment														
2015-16															
2016-17															
2017-18															
2018-19															
2019-20															
6.	Applicant unit is two time recipient of International/ National/State Export Awards by Government of India, Government of Rajasthan or EPC/Board/any Statutory Authorities	Yes / No	If Yes, then enclose certificates												
7.	Whether the applicant unit has incurred expenses of total Rs. 10.00 crore in CSR activities in last 3 financial years	Yes / No	<p>If Yes, then fill up the following table:</p> <table border="1" data-bbox="871 1189 1350 1440"> <thead> <tr> <th data-bbox="871 1189 1075 1263">Financial Year</th> <th data-bbox="1075 1189 1350 1263">In Cr. Rs. (CSR Expenditure)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="871 1263 1075 1305">2017-18</td> <td data-bbox="1075 1263 1350 1305"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 1305 1075 1348">2018-19</td> <td data-bbox="1075 1305 1350 1348"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 1348 1075 1391">2019-20</td> <td data-bbox="1075 1348 1350 1391"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 1391 1075 1440">Total</td> <td data-bbox="1075 1391 1350 1440"></td> </tr> </tbody> </table>	Financial Year	In Cr. Rs. (CSR Expenditure)	2017-18		2018-19		2019-20		Total			
Financial Year	In Cr. Rs. (CSR Expenditure)														
2017-18															
2018-19															
2019-20															
Total															
8.	Whether the applicant unit has exported goods/services of Rs. 100.00 crore every year in last three years.	Yes / No	<p>If Yes, then fill up the following table:</p> <table border="1" data-bbox="871 1559 1318 1765"> <thead> <tr> <th data-bbox="871 1559 1075 1632">Financial Year</th> <th data-bbox="1075 1559 1318 1632">In Cr. Rs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="871 1632 1075 1675">2017-18</td> <td data-bbox="1075 1632 1318 1675"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 1675 1075 1718">2018-19</td> <td data-bbox="1075 1675 1318 1718"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="871 1718 1075 1765">2019-20</td> <td data-bbox="1075 1718 1318 1765"></td> </tr> </tbody> </table>	Financial Year	In Cr. Rs.	2017-18		2018-19		2019-20					
Financial Year	In Cr. Rs.														
2017-18															
2018-19															
2019-20															

D1.	Enclosures									
1.	CA Certificate for production for last 15 financial years	Enclose								
2.	CA Certificate for FoB export (in Crore Rs.) for last 12 financial years	Enclose								
3.	Export Award Certificate <table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Year</th> <th>Award Level</th> <th>Awards received from</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Year	Award Level	Awards received from					Enclose
S. No.	Year	Award Level	Awards received from							
4.	CA Certificate for expenditure in CSR activities for last 3 years	Enclose								
5.	Declaration on Rs. 100/- stamp paper (see para no. 5(3) of the scheme)	Enclose								

DECLARATION

We hereby certify that the information furnished in this form is authentic and correct and we shall abide by the decision of the Commissioner of Industries & Secretary CSR, Rajasthan, Jaipur.

Signature

Name

Designation

Name of the firm
(with rubber stamps)

Note:- After Filling of Application it will be Scanned and E-mailed to respective DIC (District Industries Centre) or Joint Director, Industries (Exports) on indrajfo16@rajasthan.gov.in with all enclosures stated above in PDF Format. (List of DICs and their E-Mail I.D.s is Annexed With Application Form.)